

## राजस्थान विधान सभा

(विधान शाखा)

विधान सभा समाचार बुलेटिन भाग-2

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या : 73

विधान सभा भवन,  
जयपुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2017

समस्त माननीय सदस्यों को निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक सं. 39) को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने तथा प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव सदन में रखा गया, जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया था।

तत्सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पर गठित प्रवर समिति में निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत किया है:-

1. श्री गुलाब चन्द कटारिया	सभापति
2. श्री सुरेन्द्र पारीक	सदस्य
3. श्री जोगाराम पटेल	सदस्य
4. श्री प्रहलाद गुंजल	सदस्य
5. डॉ. मंजू बाघमार	सदस्य
6. श्री प्रद्युम्न सिंह	सदस्य
7. श्री मानिक चन्द सुराना	सदस्य
8. डॉ. किरोड़ी लाल	सदस्य

पृथ्वी राज,  
सचिव।